झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग)
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2012-13
झारखण्ड, राँची

विज्ञप्ति संख्या - 58/2012

एतद् द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा वर्ग VIII में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वर्ष 2012–2013 में अष्टम् वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के हितार्थ राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme) नामक योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में कुल 1,00,000 (एक लाख) मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। इसके आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा–छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2012–2013 का आयोजन दिनांक 18 नवम्बर 2012 (रविवार) को करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ग IX से वर्ग XII तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

2. **पात्रताः**– झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसे छात्र–छात्रा, राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा–छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2012–13 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जोः–
   (i) शैक्षणिक सत्र 2011–2012 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो एवं सत्र 2012–2013 में अष्टम् वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत् हो। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी)।
   (ii) जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार) से अधिक नहीं हो।
   (iii) केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय, जहाँ रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है के छात्र–छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे।

3. **आरक्षणः**– झारखण्ड राज्य में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को देय होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु जिला असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। आरक्षण के लाभ हेतु आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा अभ्यर्थी सामान्य कोटि के अभ्यर्थी समझे जायेंगे।

4. **आवेदन–पत्र एवं परीक्षा शुल्कः– आवेदन –पत्र एवं परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार हैः–**
   (क) सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों हेतु – 50/– (पचास रूपये)।
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति – 25/– (पच्चीस रूपये)।
   (परीक्षा शुल्क, आवेदन–पत्र में ही समाहित है। आरक्षित कोटि के छात्र–छात्राओं को समक्ष पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन–पत्र प्राप्ति के समय देना अनिवार्य है)।

5. **<u>आवेदन–पत्र प्राप्ति स्थल एवं जमा करने की अंतिम तिथि</u>**:– आवेदन–पत्र अध्ययनरत् विद्यालय के प्रधानाध्यापक से नकद शुल्क देकर दिनांक 03.08.2012 से दिनांक 22.08.2012 तक प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण भरा हुआ आवेदन–पत्र दिनांक 22.08.2012 के संध्या 4 बजे तक संबंधित प्रधानाध्यापक के यहाँ जमा किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. **परीक्षा तिथिः**–परीक्षा दिनांक 18.11.2012 (रविवार) को राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र पर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 01 बजे तक आयोजित की जायेगी।

7. **परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रमः**–परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए NCERT द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप किया जायेगा। राष्ट्रीय साधन–सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा एवं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रारंभिक) के प्रश्न पत्र समान होंगे। इसके अन्तर्गत प्रश्न–पत्र दो खण्डों में होगाः–
   खण्ड–1 बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test)– इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसके लिये 90 मिनट का समय निर्धारित होगा। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।
   खण्ड–2 शैक्षिक योग्यता परीक्षण (Scholastic Ability Test)– इसके अन्तर्गत प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। इसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित रहेगा। इसके भी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न वर्ग 8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।

   विकलांग छात्र–छात्राओं को दोनों खण्डों में निर्धारित समय से 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा। केन्द्राधीक्षक के द्वारा ऐसे विकलांग छात्र/छात्राओं के कक्षा 7 में अध्ययनरत् छात्र को श्रुतलेखक, आवश्यकता होने पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसका अनुमोदन केन्द्राधीक्षक एवं सम्बधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर लेगें।

8. **छात्रवृत्ति की संख्याः**– भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए कुल 1959 छात्रवृत्ति निर्धारित की गयी है। जिला स्तर पर चयनित छात्र–छात्राओं को वर्ग 9 से वर्ग 12 तक (अधिकतम् 4 वर्ष) लगातार अध्ययनरत् रहने पर प्रतिवर्ष 6000/– (छः हजार) रूपये की दर से त्रैमासिक बैंक खाता के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति जारी रहने हेतु वर्ग 9 एवं वर्ग 11 की परीक्षा में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंक एवं वर्ग 10 की परीक्षा में न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट है)।

जिलावार छात्रवृत्ति की संख्या एवं जिला कोड निम्नवत् हैः–

क्रम	जिला का नाम	जिला कोड	छात्रवृत्ति संख्या
1	राँची	01	115
2	गुमला	02	68
3	सिमडेगा	03	53
4	लोहरदगा	04	36
5	पूर्वी सिंहभूम	05	178
6	पश्चिमी सिंहभूम	06	73
7	सरायकेला/खरसावाँ	07	64
8	लातेहार	08	36
9	पलामू	09	124
10	गढ़वा	10	88
11	हजारीबाग	11	81
12	चतरा	12	68
13	कोडरमा	13	38
14	गिरिडीह	14	255
15	बेकारो	15	102
16	धनबाद	16	133
17	दुमका	17	60
18	गोड्डा	18	49
19	देवघर	19	81
20	जामताड़ा	20	40
21	पाकुड़	21	37
22	सहेबगंज	22	50
23	खूँटी	23	53
24	रामगढ़	24	77
		कुल	**1959**

9. **परीक्षा कार्यक्रम :–**

क्रम	परीक्षा कार्यक्रम	तिथि
1	परीक्षा की तिथि	18.11.2012
2	जिला शिक्षा पदाधिकारी को सादा आवेदन–पत्र एवं समेकित सूची परीक्षा कोषांग द्वारा हस्तगत कराने की तिथि	03.08.2012 से
3	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक को सादा आवेदन–पत्र हस्तगत कराने की तिथि	03.08.2012 से
4	प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं से प्राप्त भरा हुआ आवेदन–पत्र एवं आवेदन शुल्क जिला शिक्षा पदाधिकारी को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि	27.08.2012 तक
5	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भरा हुआ आवेदन–पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ समेकित सूची एवं शुल्क का बैंक ड्राफ्ट परीक्षा कोषांग में हस्तगत कराने की तिथि	30.09.2012 तक
6	परीक्षा कोषांग द्वारा प्रवेश–पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजने की तिथि	05.11.2012 तक
7	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक को प्रवेश–पत्र हस्तगत कराने की तिथि	08.11.2012 तक
8	प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं को प्रवेश–पत्र हस्तगत कराने की तिथि	16.11.2012 तक

10. किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से या नोडल पदाधिकारी/छात्रवृत्ति कोषांग से टेलीफोन संख्या 0651–6454027 या टॉल फ्री संख्या 1800–3456–523 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह./-
(सुशील कुमार राय)
नोडल पदाधिकारी सह सचिव,
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Sch/05/SECY/324/12,
Dt. - 01.08.2012
D.O.P. - 02.08.2012